तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1095/2006/अलवर** **जसराम बनाम शर्मिला**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री एस.पी. सिंह, अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री जे.के. पारीक, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1
(3) श्री धर्मेन्द्र टांक, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 5 ल0 10

निर्णय

दिनांकः 25.03.2026

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–02–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश से प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया गया है।

2– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की निगरानी पर बहस सुनी गई।

3– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए बहस में कथन किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश प्रकरण के तथ्यों एवं संबंधित कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय है। ससुर के जीवनकाल में बंटवारा करवाने का कोई अधिकार नहीं है। हिस्सा जो मांग रही है वह परिवार में भी है अथवा नहीं? यह तथ्य साक्ष्य से ही तय होगा। वादिया/अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत कर मुख्य आधार यही लिया है कि वादपत्र की चरण सं0 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार काश्तकार सुखराम पुत्र सालगा (प्रार्थी) के स्व0 पुत्र जीतराम की बेवा है। सुखराम के 1/4 हिस्से में से निस्फ हिस्सा (1/2 भाग) पर वादियान को खातेदार घोषित किया जावे। जिसका प्रार्थी प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे पुत्र जीतराम का स्वर्गवास दिनांक 30–09–2000 को हो गया। इसके बाद वादिया शर्मिला द्वारा प्रतिवादी सं0 2 सुखराम के पुत्र राजेश से दिनांक 03–10–2000 को पुनर्विवाह कर लिया तथा अपने पति राजेश के साथ रह रही है। इस कारण वादिया को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। उक्त कानूनी बिन्दु पर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1095/2006/अलवर** **जसराम बनाम शर्मिला**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कायम की गयी तनकी सं0 5 का निर्णय सर्वप्रथम किया जावे। इसके संबंध में प्रार्थना पत्र दिनांक 10–01–2006 को प्रस्तुत किया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश से खारिज कर दिया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी जसराम द्वारा अपने पुत्र जीतराम के दिनांक 30–09–2000 स्वर्गवास हो जाने के बाद विजेन्द्र पुत्र रोहिताश को गोदपुत्र के रूप में ले लिया है। इस कारण वादिया शर्मिला द्वारा राजेश से पुनर्विवाह कर लेने के कारण खातेदार प्रार्थी जसराम के 1/4 हिस्से पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं बंटवारा कराने की कानूनन अधिकारिणी नहीं है।

अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–02–2006 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 2 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 दिनांक 10–01–2006 को स्वीकार किया जावे।

4– प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त कथनों का विरोध करते हुए बहस में तर्क दिये है कि आदेश 14 नियम 1 के अनुसार तनकी तय होनी है। तनकी सं0 5 पहले जोड़ दी गयी थी। अब तो जसराम की ही मृत्यु हो चुकी है। इसलिए यह तनकी सं0 5 ही खत्म हो गयी है। प्रकरण विचारण न्यायालय में साक्ष्य से ही तय होगा। प्रकरण में आदेश 14 नियम 2 में सम्पूर्ण वाद निर्णित हो रहा हो तो ही आदेश 14 नियम 2 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत आयेगा। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/प्रतिवादी जसराम द्वारा वाद को लम्बा करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त आराजी दादालाई आराजी है। वादीगण प्रतिवादी नं0 1 के जायज वारिस है और दादालाई पैतृक आराजी में वारिस हकदार है। इसलिये विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने के कारण प्रार्थी की निगरानी खारिज की जावें।

उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 2009 आर0बी0जे0 पेज 82 एवं 2017 डी0एन0जे0 पेज 622 के न्याय दृष्टान्त पेश किये।

5– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की सुनी गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन एवं परिशीलन किया गया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1095/2006/अलवर** **जसराम बनाम शर्मिला**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

6– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष एक राजस्व वाद धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत वाद में अंकित वादग्रस्त आराजी का प्रस्तुत कर वादपत्र की चरण सं0 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि है। जिसमें खातेदार जसराम के 1/4 हिस्से के निस्फ हिस्से (1/2 भाग) पर वादियान को खातेदार घोषित किया जावे। इसके पश्चात् प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 2 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत दिनांक 10–01–2006 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र में कायम की गयी तनकी सं0 5 का निर्णय सर्वप्रथम किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र को विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा अपने आदेश दिनांक 07–02–2006 से स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया।

7– अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त 2009 आर0बी0जे0 पेज 82 में अभिनिर्धारित किया गया है कि –

CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908- Order 14 Rule 2- When issue is regarding mixed question of law and fact, same will be decided alongwith all other issues. In this case, suit has been filed for declaration and permanent injunction. In the suit, there is no prayer for cancellation of adoption deed but issue No. 4 is regarding the effect of adoption deed on the suit. This issue is regarding mixed question of law and fact, therefore same will be decided along with the other Issues. Revision dismissed.

8– विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 07–02–2006 में माना गया है कि वादी का वाद इस्तकरार हक व तकासमा का है। वादग्रस्त आराजी वादिया शर्मिला के ससुर के नाम खातेदारी में दर्ज है। यदि वादिया वाद में स्वयं को खातेदार कृषक घोषित करवाने की अधिकारी होनी पायी जायेगी तभी वह बंटवारा करवाने की अधिकारी होगी। वादिया खातेदार कृषक घोषित करवाने की अधिकारी है या नहीं। यह वाद में बाद साक्ष्य ही सम्पूर्ण तनकीयात का विश्लेषण कर गुणावगुण पर तय किया जायेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1095/2006/अलवर** **जसराम बनाम शर्मिला**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रूप से स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि जब जसराम की ही मृत्यु हो चुकी है तो तनकी सं0 5 स्वतः ही खत्म हो गयी है। विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के पश्चात् तनकीवार विश्लेषण के पश्चात् गुणावगुण पर निर्णय किया जायेगा। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् होकर इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से प्रार्थी की निगरानी न्यायहित में खारिज योग्य पायी जाती है।

9– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा होते हैं।

10– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की निगरानी **खारिज** की जाकर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–02–2006 को यथावत् रखा जाता है।

11– पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य